

स्वर्ण सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

अप्रैल 26, 2000

(डी.पी. वाधवा एवं रूमा पाल, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860 धारा 302 गोलियों से हत्या-साक्ष्यों की विवेचना आरोपी व्यक्तियों के संबंध में चश्मदीद गवाहों की गवाही, संलिप्तता न केवल सुसंगत बल्कि भौतिक साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि की गई। अपराध के लिए हेतुक स्थापित तुरंत एफआईओर दर्ज की गई। घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति डबल बैरल बंदूक के साथ हुई घटना स्वीकृत मृत व्यक्तियों को नशे की हालत में राज्य द्वारा रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। नक्शा स्थल, शवों की स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें और अन्य सामग्री घटनास्थल से एकत्रित की अभियोजन मामले का समर्थन करने वाली दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी गई।

आपराधिक मुकदमें-

सबूतों की विवेचना, सह-भियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में चश्मदीदों के बयान को स्वीकार न करना, पकड़े जाने का प्रभाव केवल इसलिए कि चश्मदीदों के सबूतों के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत उन सभी को खारिज करने के लिए बाध्य है।

बार-बार स्थगन मुकदमे में देरी और गवाहों को परेशान करना उपाय सुझाए गए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 304(3) उन्मूलन में संशोधन, झूठी साक्ष्य की बुराई को हटाने का सुझाव दिया।

अपीलकर्ताओं पर दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 'एस', 'ए', पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 एक कार में एक गाँव से लौट रहे थे। रास्ते में एक ट्रक पीछे से लगातार हार्न बजाने लगा। पीडब्लू-3 ने कार रोकी और 'एस' ट्रक के चालक की पहचान करने के लिए नीचे उतरा। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को कार के साथ ले आया। आरोपी 'एसएस' ने ट्रक की बाईं खिड़की खोली और अपनी 12 बोर डबल बैरल बंदूक से 'एस' के सीने में गोली मार दी। 'एस' की मौके पर ही मौत हो गई। गोली सुनते ही 'ए' कार से उतरकर ट्रक के पीछे चला गया। आरोपी 'एस' और 'एम' ने 'ए' पर गोली चलाई जो उसके सीने में लगी। 'ए' ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 ने शोर मचाया, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। इसके बाद आरोपी 'एसएस' ने मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और डबल बैरल बंदूक सौंप दी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी 'ए' और 'एम' को बरी करते हुए आरोपी 'एसएस' और ट्रक के ड्राइवर को धारा 302/34 दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपील पर उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपीले हुई।

अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि नीचे की दोनों अदालतों ने घटना के संबंध में अपने साक्ष्य के रूप में चश्मदीद गवाहों, अर्थात् पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 पर भरोसा करके गलती की थी, जहां तक यह 'एम' से संबंधित था। दोनों न्यायालयों द्वारा अविश्वास किया गया, एफएसएल की रिपोर्ट में चश्मदीदों के इस सबूत को झुठला दिया गया कि मृतक ने शराब नहीं पी थी कि जांच अधिकारी के

साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से असंगत थे। शिकायत दर्ज करने में 5-1/2 घंटे की देरी हुई थी और इस दौरान कथित चश्मदीदों ने आरोपियों की संलिप्तता की कहानी गढ़ी थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. आरोपी व्यक्तियों की अपराध में संलिप्तता के चश्मदीद गवाहों के बयान न केवल सुसंगत हैं बल्कि महत्वपूर्ण साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्ट किए गए हैं। आरोपी और मृतक के बीच दुश्मनी स्थापित की गई थी। इस प्रकार, निचली अदालतों द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और सजा देना उचित था। [581-जी; 582-बी]

1.2. अभियुक्त 'एसएस' ने घटना स्थल पर भरी हुई डबल बैरल बंदूक और एक कारतूस बेल्ट के साथ अपनी उपस्थिति स्वीकार की है। उनका बचाव कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई थी और मृतक नशे की हालत में हमलावर थे, चिकित्सा साक्ष्यों के मददेनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के विसरा में पाई गई अल्कोहल की मात्रा से न तो यह पता चलता है कि घटना से ठीक पहले इसका सेवन किया गया था और न ही यह मृतक को नशे में धुत करने के लिए पर्याप्त था। [582-सी]

2. नक्शा स्थल, मृत व्यक्तियों की स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें और घटनास्थल से एकत्र की गई खून से सनी मिट्टी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है कि मृतकों की हत्या ट्रक के बगल वाली जगह पर की गई थी, न कि आरोपी एसएस के घर के पास, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया था। यदि वास्तव में मृतक थे जैसा कि अभियुक्तों ने आरोप लगाया है, अंधाधुंध गोलीबारी में एसएस के घर की दीवारों पर कुछ छर्रे लगे होंगे। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को यह भी नहीं बताया गया कि एसएस के घर के पास छर्रे या छर्रे के निशान थे। इस प्रकार, ट्रायल

कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने घटना स्थल पर ट्रक की मौजूदगी को समझाने के लिए आरोपी की कहानी को सही ढंग से खारिज कर दिया। इसके अलावा, यह तथ्य कि हमला बहुत करीब से किया गया था, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का समर्थन करता है और घटना के बचाव पक्ष के बयान के विपरीत है। [581-जी-एच; 582-ए]

आपराधिक जांच और परीक्षण में फॉरेंसिक विज्ञान (तीसरा संस्करण) पी. 280। फिशर, स्वेन्सन और वेन्डेल की अपराध स्थल जांच की तकनीक (चतुर्थ सी संस्करण, पी. 296), का उल्लेख किया गया है।

3. केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के एक हिस्से पर अविश्वास किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें उन सभी को अस्वीकार करने के लिए बाध्य थीं। इस प्रकार, 'एम' की संलिप्तता के संबंध में निचली अदालतों द्वारा पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य को स्वीकार न करने से अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में उनके साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाएंगे। [583-डी]

4. पीडब्लू-1, डॉक्टर ने अपनी जिरह में कहा है कि दोनों मृतकों की मृत्यु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को शाम लगभग 4 बजे हुई होगी, लेकिन यह अपने आप में इस तथ्य को स्थापित नहीं करता है कि मृतकों की हत्या शाम 4 बजे की गई थी। पीडब्लू 1 की साक्ष्य मुख्य रूप से यह थी कि मौत पोस्टमार्टम से 24 घंटे के भीतर हो सकती थी। इसलिए, पीडब्लू-1 की साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के साथ समान रूप से सुसंगत है कि घटना शाम 7:45 बजे हुई थी। [583-एच]

5. पीडब्लू-5, जांच अधिकारी की गवाही में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने या चश्मदीद गवाहों की गवाही पर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, घटना के लगभग तीन साल बाद मुकदमा शुरू हुआ और यह संभव नहीं है कि जांच अधिकारी को जांच के विवरण याद नहीं रहे। [584-जी]

पेर वाधवा, जे. (पूरक):

1. एक आपराधिक मामला सबूतों के आधार पर बनाया जाता है, सबूत जो कानून में स्वीकार्य है। उसके लिए गवाहों की आवश्यकता होती है चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य। यहां वे गवाह हैं जिन्हें बहुत परेशान किया गया है। किसी आपराधिक मुकदमे में कोई गवाह दूर-दराज से आता है और पाता है कि मामला स्थगित हो गया है। उसे कई बार अदालत में आना पड़ता है और इसकी कीमत उसे और उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यह है किसी आपराधिक मामले को तब तक बार-बार स्थगित करना कमोबेश एक फैशन बन गया है जब तक कि गवाह थक न जाए और हार न मान ले। किसी न किसी बहाने से स्थगन प्राप्त करना बेईमान वकीलों का खेल है जब तक कि गवाह को जीत नहीं लिया जाता या थक नहीं जाता। इतना ही नहीं कि एक गवाह को धमकी दी जाती है, उसका अपहरण कर लिया गया है, वह अपंग है, वह खत्म हो गया है, या रिश्वत भी दी। उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, फिर गवाह के लिए उचित आहार राशि तो बहुत दूर की बात है। गवाह को उचित आहार राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए और उसे भेजा भी जाना चाहिए और उसे अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को उचित स्थान पर रखना है, तो प्रणाली को बेईमान वकीलों और सुस्त राज्य मशीनरी के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटर के माध्यम से उच्च न्यायालय से जोड़ा जाना चाहिए और स्थगन और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पर उचित जांच की जानी चाहिए। [585-जी-एच; 586-ए-डी]

2. झूठी गवाही का कानून भी अदालतों में जीवन का एक तरीका बन गया है। एक ट्रायल जज जानता है कि गवाह झूठ बोल रहा है और अपने पिछले बयान से मुकर

रहा है, फिर भी वह उसे दंडित नहीं करना चाहता या उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करना चाहता। उसे शिकायत पर स्वयं हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है जो उसे शिकायत दर्ज करने से रोकता है। शायद इस संबंध में कानून को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340(3) के खंड (बी) में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि उच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। झूठी गवाही की बुराई से छुटकारा पाने के लिए, अदालत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXVI में निहित कानून के प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। [586-एफ-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 721/ 1993

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सी.और.एल.ए. 1991 की संख्या 315-डीबी में निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.09.1992 से।

साथ

1993 की आपराधिक अपील संख्या 720

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सी.और.एल.ए. 1991 की संख्या 204-डीबी में निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.09.1992 से।

यू.और. ललित, उजागर सिंह, एच.के. पुरी, एस.के. पुरी, एमएस. नरेश बखशी, और.एस. सुरी, देवेन्द्र वर्मा, राजीव दत्ता, उदय कुमार, राजेश श्रीवास्तव, उज्ज्वल बनर्जी, एमएस. एनाक्षी कुलश्रेष्ठ एवं कपिल शर्मा उपस्थिति पक्षों के लिये।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

रूमा पाल, जे.,

ये अपीलें शमशेर सिंह और अमर की मौत के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और धारा 302/34 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दायर की गई हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना और साथ ही उच्च न्यायालय ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और पाया कि अपीलकर्ताओं का अपराध उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 24 अप्रैल, 1986 को शाम लगभग 7:30 बजे, करनैल सिंह (पीडब्लू 3) कार चला रहे थे, गुरमेल सिंह (पीडब्लू 4) उनके बगल में बैठे थे और शमशेर सिंह और अमर सिंह पीछे बैठे थे। वे सभी दिलबाग सिंह से 'पुरबिया' (मजदूरों) के बारे में पूछताछ करने के लिए भरथला गांव गए थे। उन्हें न तो दिलबाग सिंह मिला और न ही कोई 'पुरबिया' और वे समराला वापस जा रहे थे तभी एक ट्रक ने कार के पीछे लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। शमशेर सिंह ने पीडब्लू 3 को कार रोकने के लिए कहा जो पीडब्लू 3 ने किया। शमशेर सिंह कार से उतरे और ट्रक को देखने लगे ताकि पहचान सकें कि ड्राइवर कौन है। ट्रक चला रहा जगजीत सिंह ट्रक को कार के किनारे ले आया। जगजीत सिंह का बेटा मित्तार पाल (जिसे लवली भी कहा जाता है) और स्वर्ण सिंह ट्रक के अगले कॅबिन में जगजीत सिंह के बगल में बैठे थे। स्वर्ण सिंह ने ट्रक की बाईं खिड़की खोली और अपनी 12 बोर डबल बैरल बंदूक से शमशेर सिंह की छाती में गोली मार दी। शमशेर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

गोली की आवाज सुनकर अमर सिंह गाड़ी से उतरकर ट्रक के पीछे चले गये। तभी जगजीत सिंह, उनका बेटा लवली और एक अमरीक सिंह ट्रक से बाहर निकले। जगजीत सिंह ने अमर सिंह पर गोली चला दी जो अमर सिंह के सीने में लगी।

अमरीक सिंह ने जगजीत सिंह से कहा कि वह अमर सिंह पर और गोलियाँ चलाये। इसके बाद लवली ने जगजीत सिंह से 12 बोर डबल बैरल गन ले ली और अमर सिंह पर दो और गोलियां चलाई, जिनमें से एक अमर सिंह की गर्दन में और दूसरी पेट में लगी। हमलावरों ने अमर सिंह पर और गोलियां चलाई। अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जब हमलावर गोलियां चला रहे थे तो ट्रक के पीछे से उतरे सतीश कुमार को भी गोली लग गई। पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 दोनों ने शोर मचाया जिसके बाद हमलावर हवा में गोलियां चलाते हुए भाग गए।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध का मकसद यह था कि स्वर्ण एच सिंह के ट्रक को समराला के ट्रक यूनियन से डी-लिस्ट कर दिया गया था, शमशेर सिंह जो ट्रक यूनियन, समराला के अध्यक्ष थे। यह भी आरोप लगाया गया कि ट्रक यूनियन के अध्यक्ष कार्यालय के आगामी चुनाव जो लगभग एक सप्ताह बाद होने थे। जगजीत सिंह और शमशेर सिंह के बीच प्रतिद्वंद्विता थी।

24 अप्रैल 1986 को रात्रि 9:30 बजे, करनैल सिंह (पीडब्लू 3) ने पुलिस स्टेशन, समराला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। एसआई करनैल सिंह, एस.एच.ओ. पी.एस. समराला (पीडब्ल्यू 5) घटनास्थल पर गया और ट्रक, कार, पंजीकरण कागजात, मृतकों के शवों के पास से खून से सनी मिट्टी, ट्रक के केबिन से दो खाली कारतूस और चार खाली कारतूस कब्जे में ले लिए। अमर सिंह के शव के पास से पीडब्लू 5 के अनुसार उन्हें घटनास्थल पर घायल अवस्था में सतीश कुमार मिला और उसे सिविल अस्पताल, समराला भेजा। फिर उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए समराला के सिविल अस्पताल भेज दिया।

जहां तक शमशेर सिंह का सवाल है, पोस्टमार्टम सुबह 10:30 बजे किया गया। 25 अप्रैल 1986 को अमर सिंह का पोस्टमार्टम उसी दिन दोपहर 12:40 बजे किया



गया। दोनों पोस्टमार्टम डॉ. राजीव भल्ला, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल समराला (पीडब्ल्यू 1) द्वारा किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शमशेर सिंह को निम्नलिखित चोटें थीं:-

छाती के दाहिनी ओर 2 सेमी व्यास का एक घाव था और इसी तरह की चोट शर्ट और बनियान पर भी थी, किनारे काले पड़ गए थे और थक्कों के साथ अंदर की ओर थे। घाव मध्य क्लैविक्युलर लाइन में दूसरे और तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस में मौजूद था। कारतूस और छर्रों के अवशेष को घाव से हटा दिया गया और सील कर दिया गया।

पीडब्ल्यू 1 की राय में मृत्यु का कारण आग्नेयास्त्र की चोट थी जिसके कारण दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा फट गया जिससे रक्तस्राव, सदमा और मृत्यु हुई। यह भी कहा गया कि मृत्यु तात्कालिक थी और चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी और सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

पीडब्ल्यू 1 द्वारा अमर सिंह पर निम्नलिखित छह घाव पाए गए -

1. छाती के बाईं ओर 3.5 सेमी व्यास का घाव, किनारे काले और सिरे मुड़े हुए। शर्ट पर चोट के कारण शर्ट काली पड़ गई थी। बनियान की बाईं पट्टी गायब थी। घाव 10 सेमी गहरा और इस्ट और के क्षेत्र में था। दूसरा इंटरकोस्टल स्पेस अंदर कारतूस का अवशेष देखा गया घाव को हटा दिया गया और सील कर दिया गया।

2. गर्दन के त्रिकोण में छाती के बीच में 3 सेमी व्यास का घाव। घाव अवशेष सहित 7 सेमी गहरा था कारतूस और छर्रों को हटाकर सील कर दिया गया।

3. दाहिने ऊपरी गुआड्रेंट में पेट पर 3 सेमी व्यास का घाव, आंते बाहर निकली हुई 8 सेमी गहरी, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए और आसपास का भाग काला हो

गया। आंते फट गई थीं और शर्ट तथा बनियान पर भी कट का निशान था और किनारे काले पड़ गए थे। छर्छों को चोट से निकालकर सील कर दिया गया।

4. बाएं पैर के पीछे पोपली टोगल फोसा में घुटने की जोड़ रेखा से 2 सेमी ऊपर 2.5 सेमी व्यास का एक घाव है, जिसके किनारे मुड़े हुए हैं और सिरे काले हैं। घाव हड्डियों तक गहरा था और फीमर में कारतूसों और छर्छों के अवशेष मौजूद थे। निचले हिस्से और जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर था। छर्छों को निकालकर सील कर दिया गया। पायजामे में इसी तरह का कट था और किनारे काले थे।

5. बाएं पैर में 3 सेमी नीचे 2.5 सेमी व्यास का एक गहरा घाव घुटने का जोड़ किनारे पर मुड़ा हुआ और सिरे काले पड़ गए हैं पायजामा पर संबंधित कट. चोट हड्डी तक गहरी थी और टिबिया के ऊपरी सिरे में फ्रैक्चर था।

6. बाएं पैर पर 2 सेमी व्यास का मर्मज घाव अंदर घुसा हुआ है चोट क्रमांक 5 गोली से 3 सेमी नीचे हाशिये और काला सिरा हटा दिया गया और छर्छों को सील कर दिया गया।

पीडब्लू 1 की राय में मृत्यु का कारण उन चोटों के कारण था, जो प्रकृति में मृत्यु से पहले थी और सामान्य तरीके से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

पीडब्लू 5 द्वारा घटनास्थल से एकत्र की गई विभिन्न वस्तुओं के साथ-साथ मृतक के विसरा के कुछ हिस्सों को, जिन्हें पोस्टमार्टम के दौरान हटा दिया गया था, रासायनिक विश्लेषण के लिए पुलिस द्वारा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेजा गया था। 26 अप्रैल, 1986 को स्वर्ण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट, एच समराला (पीडब्लू 6) के समक्ष एक 12 बोर डबल बैरल गन (प्रदर्श पी-22) सौंप दी, जिन्होंने इसे उसी दिन पीडब्लू 5 को दे दिया। तीन महीने बाद

26 जुलाई, 1986 को जगजीत सिंह के पिता गज्जा सिंह ने एक 12 बोर डबल बैरल गन (प्रदर्श पी-23) को प्रस्तुत किया, जो पीडब्लू 5 से पहले जगजीत सिंह की लाइसेंसी बंदूक थी। उसके छह सप्ताह बाद, सरपंच ने एक और 12 बोर डबल बैरल को प्रस्तुत किया, जो बंदूक शमशेर सिंह की लाइसेंसी बंदूक थी (प्रदर्श पी-24)। तीन अन्य 12 बोर डबल बैरल बंदूकें 27 अक्टूबर, 1986 को अन्य गवाहों द्वारा पेश की गईं (प्रदर्श पी-25, प्रदर्श पी-26 और प्रदर्श पी-27)।

हैरानी की बात यह है कि जगजीत सिंह का नाम एफआईओर में होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन मामले की जांच श्री मोहिंदर सिंह, डीएसपी, श्री बलदेव शर्मा, डीएसपी, श्री संजीव गुप्ता, एसपी और श्री बी.पी.तिवारी, डीआईजी, क्राइम, चंडीगढ़ ने की थी। उन सभी ने "पाया" कि जगजीत सिंह निर्दोष थे। पुलिस ने तदनुसार स्वर्ण सिंह का ही चालान किया। व्यथित होकर, पीडब्लू 3 ने 1 दिसंबर, 1986 को जगजीत सिंह, मित्तर पाल सिंह (उर्फ लवली) और अमरीक सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सभी चार आरोपियों को 22 सितंबर, 1988 को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। आरोपियों की आपत्ति कि परिवाद मामले और चालान मामले को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, को ट्रायल कोर्ट ने 8 फरवरी, 1989 को खारिज कर दिया और मुकदमा 18 फरवरी, 1989 को शुरू हुआ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना ने स्वर्ण सिंह और जगजीत सिंह पर धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत और अमरीक सिंह और मित्तर पाल सिंह पर धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत आरोप लगाया। चारों आरोपियों पर भा.द.सं. की धारा 307/34 के तहत भी आरोप लगाए गए।

हलफनामे पर कांस्टेबल देव भरत, एएमएचसी जय सिंह, कांस्टेबल हजूर सिंह और जगतार सिंह के औपचारिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा (क्योंकि बचाव पक्ष

द्वारा जिरह के लिए इन गवाहों की आवश्यकता नहीं थी), अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में सात गवाहों को परिष्कित करवाया। डॉ. राजीव भल्ला (पीडब्लू 1), अशोक कुमार, ड्राफ्ट्समैन (पीडब्लू 2), करनैल सिंह (पीडब्लू 3), गुरमेल सिंह (पीडब्लू 4), करनैल सिंह, एसएचओ पीएस समराला (पीडब्लू 5), के.एस. भुल्लर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, समराला (पीडब्लू 6) और रणधीर सिंह (पीडब्लू 7)।

स्वर्ण सिंह ने अपने बचाव में कहा कि वह ट्रक यूनियन का सदस्य था और सक्रिय रूप से सह-अभियुक्त जगजीत सिंह की मदद कर रहा था, जो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष पद के चुनाव में मृतक शमशेर सिंह का प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार था, जो दिनांक 03.05.1986 को होने वाला था। स्वर्ण सिंह के अनुसार दोनों मृतक जगजीत सिंह के मददगारों को डराने की नियत से दिनांक 24.04.1986 को हथियारों से लैस होकर स्वर्ण सिंह के घर के सामने आये। शाम चार बजे जब स्वर्ण सिंह अपने ट्रक से अपने घर पहुंचा। साथ में उनके क्लीनर, सतीश ने मृतक को नशे की हालत में चिल्लाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पाया। कथित तौर पर मृतक भी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। स्वर्ण सिंह ने दावा किया कि वह अपनी लाइसेंस भरी हुई बंदूक, बेल्ट के साथ कारतूस और अपने क्लीनर को ट्रक में छोड़कर भाग गया। उन्होंने आगे कहा कि क्लीनर, सतीश को मृतक के हाथों बंदूक की गोली लगी। उन्होंने दावा किया कि चश्मदीनों को खरीद लिया गया।

गजीत सिंह का बचाव यह था कि ट्रक यूनियन के संबंध में जगजीत सिंह के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया था।

अमरीक सिंह और मित्तूर पाल सिंह का बचाव था कि वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने यह साबित करने के लिए तीन गवाहों, अहलमद, क्लर्क (शिकायतकर्ता) और लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के क्लर्क (रिकॉर्ड) की जांच की कि उन्होंने

मामले में झूठा फंसाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने अमरीक सिंह और मित्तर पाल सिंह को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनका अपराध साबित नहीं कर सका। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने स्वर्ण सिंह को शमशेर सिंह की हत्या के लिए धारा 302 भा.द.सं. के तहत और अमर सिंह की हत्या के लिए धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया। जगजीत सिंह को अमर सिंह की हत्या के लिए भा.द.सं. की धारा 302 और शमशेर सिंह की हत्या के लिए भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोनों आरोपियों को प्रत्येक अपराध के संबंध में आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना एक अदम अदायगी में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि, यदि वसूल की जाती है, तो शमशेर सिंह और अमर सिंह के परिजनों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अपीलें दायर की गईं। पहली अपील स्वर्ण सिंह ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर की थी, (आपराधिक अपील संख्या 315/डीबी 1991), दूसरी अपील जगजीत सिंह ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर की थी, (आपराधिक अपील संख्या 204/डीबी 1991) और तीसरी अपील पंजाब राज्य द्वारा मित्तर पाल सिंह को बरी करने के खिलाफ दायर की गई थी (आपराधिक अपील संख्या 270/डीबी 1992)। उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 1992 के एक निर्णय द्वारा सभी अपीलों का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने मित्तर पाल सिंह को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन जगजीत

सिंह और स्वर्ण सिंह के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। हालाँकि, लगाए गए जुर्माने की सजा को रद्द करके सजा में बदलाव किया गया।

उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, स्वर्ण सिंह और जगजीत सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि दोनों न्यायालयों ने चश्मदीद गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 पर भरोसा करके गलती की थी, क्योंकि जहां तक यह मित्तर पाल सिंह से संबंधित था, घटना के उनके विवरण पर दोनों ने अविश्वास किया था। आगे यह भी कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों की यह साक्ष्य कि मृतक ने शराब नहीं पी थी, एफएसएल की रिपोर्ट में गलत साबित हुआ। यह भी बताया गया है कि दिलबाग सिंह, जिसे कथित तौर पर मृतक द्वारा पुरबिया के संबंध में पूछताछ की मांग की गई थी, से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी के साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से असंगत थे। अपीलकर्ताओं का दावा है कि घटना वास्तव में शाम 4 बजे स्वर्ण सिंह के घर के सामने हुई थी और यह मृतक के साथ-साथ ट्रक के क्लीनर सतीश, दोनों के संबंध में पीडब्लू 1 के साक्ष्य द्वारा समर्थित था। आगे यह भी दावा किया गया है कि शिकायत दर्ज करने में 5-1/2 घंटे की देरी हुई थी, इस दौरान कथित चश्मदीद गवाहों ने आरोपी की संलिप्तता की कहानी गढ़ी थी। यह दावा किया जाता है कि अमर सिंह की हत्या के पीछे उनका कोई मकसद नहीं था, न ही अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत था कि उनका मकसद क्या था। अंत में, जहां तक जगजीत सिंह का सवाल है, यह कहा गया है कि चश्मदीद गवाहों के बयान के अलावा जगजीत सिंह को अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। बताया गया है कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से साफ है कि मौके से बरामद कारतूसों का जगजीत सिंह की लाइसेंसी बंदूक से कोई संबंध नहीं हो सकता है।

हमारे विचार में, दोनों अपीलकर्ताओं को दोनों न्यायालयों द्वारा दोषी पाया गया, उनके खिलाफ सबूत निर्णायक हैं। आरोपी और शमशेर के मध्य दुश्मनी साबित थी। अमर सिंह मृतक का सहयोगी था और उसका दुर्भाग्य था कि जब शमशेर सिंह की हत्या हुई तो वह न केवल वहां मौजूद था, बल्कि उसने खुद को आरोपियों के सामने प्रकट भी किया था।

मृतक की संलिप्तता के बारे में दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान न केवल सुसंगत हैं बल्कि भौतिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि भी हुई है। पीडब्लू 2 द्वारा प्रमाणित साइट प्लान से पता चला कि ट्रक उस कार के दाहिने पिछले हिस्से की ओर पार्क किया गया था जिसमें मृतक यात्रा कर रहा था। यदि मृतक अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, तो यह संभावना नहीं है कि अपीलकर्ता ट्रक को कार के बगल में खड़ा करेंगे। वे तस्वीरें जिन्हें प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पी9 और पी10 ट्रक के बाईं ओर सड़क पर ट्रक के बगल में शमशेर सिंह के शरीर की स्थिति और ट्रक के पीछे अमर सिंह के शरीर की स्थिति दिखाते हैं। खून से सनी मिट्टी जो मृतक के स्थान से एकत्र की गई थी। शव पाए जाने से इस स्थिति का समर्थन होता है कि मृतकों की हत्या ट्रक के बगल वाली जगह पर की गई थी, न कि स्वर्ण सिंह के घर के पास, जैसा कि आरोपियों ने दावा किया था। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने अपराध स्थल पर ट्रक की मौजूदगी को समझाने के लिए स्वर्ण सिंह की कहानी को सही ढंग से खारिज कर दिया।

स्वर्ण सिंह घटनास्थल पर मौजूद था और उसके पास भरी हुई डबल बैरल बंदूक और एक कारतूस बेल्ट था, यह उसने स्वीकार किया है। उनका बचाव यह था कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई थी और नशे की हालत में मृतक हमलावर थे। अपीलकर्ताओं का यह आरोप कि मृतक नशे में थे, चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। केमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट (प्रदर्श पीवी/3) के अनुसार मृतक के विसरा (

प्रदर्श नं. 1,2, और 4) में अल्कोहल की मात्रा 74.75 मिलीग्राम/100 एमएल पाई गई। इससे न तो यह पता चलता है कि घटना से तुरंत पहले शराब का सेवन किया गया था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों को बताया गया था और न ही यह कहा जा सकता है कि शराब की मात्रा मृतक को नशे में करने के लिए पर्याप्त थी।

नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा यह भी सही ढंग से नोट किया गया था कि यदि वास्तव में मृतक ने अंधाधुंध गोलीबारी की होती, जैसा कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया था, तो स्वर्ण सिंह के घर की दीवारों पर कुछ छर्रे लगे होते। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को यह सुझाव भी नहीं दिया गया कि स्वर्ण सिंह के घर के पास छर्रे या गोली के निशान थे।

पीडब्लू 1 के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि शमशेर सिंह की छाती के दाहिनी ओर का एक घाव और अमर सिंह के शरीर पर कई घाव काले पड़ गये थे। 'कालापन धुएं के जमाव के कारण होता है, धुएं के कण हल्के होते हैं वे ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं करते इसलिए, एफ धुआं जमाव, काला पड़ना एक छोटी सीमा तक सीमित है। आपराधिक जांच और परीक्षण में फॉरेंसिक विज्ञान देखें (तीसरा संस्करण) पी. 280; फिशर, स्वेन्सन, और वेन्डेल की अपराध स्थल जांच की तकनीक (चौथा संस्करण, पी 296)। यह तथ्य कि गोलीबारी बहुत करीब से की गई थी, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का समर्थन करता है और घटना के बचाव पक्ष के कथन के विपरीत है। पीडब्लू 1 द्वारा मृतक पर पाए गए घावों की स्थिति भी घटना के चश्मदीद गवाहों की गवाही का समर्थन करती है।

जहां तक स्वर्ण सिंह का सवाल है, उन्होंने जो बंदूक नंबर 8395/5391/ए-7 (प्रदर्श-22) पीडब्ल्यू 6 को सौंपी थी, उसका परीक्षण चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किया गया था। रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) ने एच को दिखाया कि ट्रक के अंदर



और साइट से तीन कारतूस एकत्र किए गए थे, प्रदर्श-22 के दाहिने बैरल से फायर किया गया था और एक अन्य कारतूस उसी बंदूक के बाएं बैरल से फायर किया गया था। दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक जगजीत चला रहा था। वह ट्रक के ड्राइवर वाले हिस्से से उतरा अर्थात् ट्रक के दाहिने तरफ। अमर सिंह के शव को ट्रक के दाहिने पिछले हिस्से के पास बहुत करीब से गोली मारी गई पाई गई। इस प्रकार पीडब्लू 1 द्वारा अमर सिंह के शरीर पर पाए गए घाव प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को कायम रखते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाए गए विशेष खाली कारतूसों का संबंध जगजीत सिंह की लाइसेंसी बंदूक से नहीं हो सकता है, जिसे उनके पिता ने घटना के तीन महीने बाद पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन इस बात के सबूत थे कि बंदूक से गोली चलाई गई थी।

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि मित्तर पाल की संलिप्तता के चश्मदीद गवाहों के बयान को किसी भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उनके साक्ष्य संदिग्ध थे, यह एक गैर-अनुक्रमणीय है। केवल इसलिए कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्यों के एक हिस्से पर अविश्वास किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें उन सभी को खारिज करने के लिए बाध्य थीं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट द्वारा मित्तर पाल को बरी किया जाना किसी भी कारण से समर्थित नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह संभावना नहीं है कि जगजीत सिंह द्वारा अमर सिंह को गोली मारने के बाद चश्मदीद गवाह मौके पर मौजूद रहे होंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि "उनकी यह बात कि आरोपी मित्तर पाल सिंह उर्फ लवली ने उसके पिता की बंदूक छीन ली थी और दो गोलियां चलाई, अत्यधिक अस्वाभाविक होने के कारण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि अगर आरोपी जगजीत सिंह इतना साहसी था कि

पहली गोली मारकर हत्या कर देता। मृतक अमर सिंह की गर्दन को देखा जाए तो उनके द्वारा बार-बार गोलियों की बौछार न करने का सवाल ही नहीं उठता, खासकर तब जब चिकित्सीय साक्ष्यों से पता चलता है कि अमर सिंह के शव पर चोटें करीब से मारी गई बंदूक की गोली से हुई थीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता मेडिकल साक्ष्य इस घटना में आरोपी मित्तर पाल सिंह उर्फ लवली की भागीदारी की पुष्टि करते हैं।

हमारे लिए इस तर्क पर सवाल उठाना जरूरी नहीं है क्योंकि मित्तर पाल को बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है, लेकिन अभियुक्तों के मामले में चिकित्सा साक्ष्य उनकी भागीदारी की पुष्टि करते हैं।

घटना के समय के संबंध में, हो सकता है कि पीडब्लू 1 ने जिरह में कहा हो कि दोनों मृतकों की मृत्यु दिनांक 24.04.1986 को लगभग 4:00 बजे अपराह्न में हुई होगी, लेकिन यह अपने आप में इस तथ्य को स्थापित नहीं करता है कि मृतकों की हत्या शाम 4:00 बजे हुई थी। पीडब्लू 1 के मुख्य परीक्षण का साक्ष्य यह था कि मौतें पोस्टमोर्टम से 24 घंटे के भीतर हो सकती थी। इसलिए पीडब्ल्यू 1 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के साथ समान रूप से सुसंगत है कि घटना शाम 7:45 बजे हुई थी। सतीश कुमार के संबंध में पीडब्लू 1 के साक्ष्य वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। दिनांक 24.04.1986 को रात्रि 11:20 बजे सतीश कुमार की जांच की गई। जिरह में उन्होंने कहा कि चोट "छह घंटे के भीतर" लगी थी। इस कथन का अर्थ है कि चोट शाम 4:00 बजे नहीं लगी थी। इसके अलावा, यदि सतीश कुमार शाम 4:00 बजे घायल हो गए थे, जैसा कि आरोपियों ने दावा किया है, तो इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उन्हें रात 9:20 बजे अस्पताल में क्यों भर्ती कराया जाना चाहिए था। पांच घंटे से अधिक समय बाद और वह भी पुलिस द्वारा। सिलसिलेवार घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि अपराध शाम करीब साढ़े सात बजे

हुआ था। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था और चश्मदीद गवाहों ने इसकी गवाही दी थी। ऐसा होने पर, घटना के विस्तृत विवरण के साथ पीडब्लू 3 द्वारा तुरंत एफ.आई.ओ. दर्ज करना, अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के फर्जीवाड़े की संभावना को असंभव बना देता है।

इन स्पष्ट पुष्टिकरण परिस्थितियों को देखते हुए, हमें अपराध में अपीलकर्ताओं द्वारा रखे गए हिस्से पीडब्ल्यू 3 और 4 के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर दोनों न्यायालयों द्वारा रखी गई निर्भरता में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। दूसरी ओर, घटना के बारे में अपीलकर्ताओं के बयान की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की गई है।

यह तथ्य कि मृतक दिलबाग सिंह से पुरबिया के रोजगार के बारे में पूछताछ करने गया था, मामले से परे है और घटना के चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता किसी भी तरह से दिलबाग सिंह के समर्थन में पेश नहीं होने से प्रभावित हो सकती है। अभियोजन मामले का किसी भी घटना में, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया था, "दिलबाग सिंह को अभियोजन ने छोड़ दिया था क्योंकि उसे आरोपी ने वश में कर लिया था। इसी तरह के कारणों से, राज्य के लिए राजकीय अधिवक्ता दिलबाग सिंह की मां को पेश नहीं कर सका"। अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि पीडब्लू 5 के साक्ष्य असंगत थे। अपीलकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि पीडब्लू 5 ने गलत कहा था कि वह एफआईओ दर्ज होने से पहले पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं गया था। उन्होंने यह भी गलत कहा था कि उन्हें रात 11:45 बजे अपराध स्थल पर सतीश मिला था और उसे अस्पताल भेज दिया जबकि वास्तव में सतीश को रात 9:20 बजे कुछ अन्य पुलिसकर्मी पहले ही अस्पताल ले जा चुके थे। कोई भी विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने या चश्मदीद गवाहों की गवाही पर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा घटना के लगभग तीन साल बाद मुकदमा शुरू हुआ। इस

बीच अप्रैल 1987 में पीडब्लू 5 का समराला से तबादला हो गया था। पीडब्लू 5 को 1990 में साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था। इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि उसको जांच के विवरण याद नहीं होंगे, ये विलंबित परीक्षण हेतु प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस पहलू पर मेरे विद्वान भाई ने विस्तार से विचार किया है और मैं इस मामले पर उनकी राय से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

तथ्यों या कानून के आधार पर उच्च न्यायालय के तर्क में कोई कमी नहीं पाए जाने पर, हम अपील खारिज करते हैं। यदि आरोपी जमानत पर है, तो उन्हें दी गई सज़ा पूरी करने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।

डी.पी. वाधवा, जे. मैं अपनी नेक और विद्वान बहन रूमा पाल, जे द्वारा सुनाए गए फैसले से सहमत हूँ। हालांकि, मैं कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता हूँ।

घटना के ढाई घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और चार लोगों शमशेर सिंह, जगजीत सिंह, अमरीक सिंह, मित्तरपाल सिंह उर्फ लवली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एफआईओर में इन चारों आरोपियों का नाम शामिल था, जबकि शमशेर सिंह ने एफआईओर दर्ज होने के एक दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अन्य नामित आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मामले की जांच न सिर्फ सब-इंस्पेक्टर कमाल सिंह थानाधिकारी संबंधित पुलिस थाना ने की। इसके अलावा मोहिंदर सिंह, डीएसपी, बलदेव सिंह, डीएसपी संजीव गुप्ता एसपी (डिटेक्टिव) और बी.पी. तिवारी, डीआइजी (अपराध) द्वारा जब चालान पेश किया गया तो वह शमशेर सिंह के खिलाफ ही था। शिकायतकर्ता द्वारा एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी और सभी आरोपी विभिन्न अपराधों के लिए सत्र न्यायालय में अपना मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। मुकदमे के दौरान, 50 से अधिक अभियोजन पक्ष के गवाहों को वश में कर लिया गया और मामला सात गवाहों के बयानों पर निर्भर हो

गया, जिसके कारण निचली अदालत ने शमशेर सिंह और जगजीत सिंह को दोषी ठहराया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और अब इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। विचारणीय प्रश्न यह है कि पुलिस ने आरोपी जगजीत सिंह का चालान क्यों नहीं किया और 50 से अधिक गवाहों को क्यों छोड़ दिया था। यह केवल यह दर्शाता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली खराब स्थिति में है। किसी भी राजनीतिक या अन्य दबाव से प्रभावित हुए बिना ईमानदार जांच होनी चाहिए।

एक आपराधिक मामला सबूतों के आधार पर बनाया जाता है, ऐसे सबूत जो कानून में स्वीकार्य हैं। उसके लिए गवाहों की आवश्यकता होती है चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य। यहां वे गवाह हैं जिन्हें बहुत परेशान किया गया है। किसी आपराधिक मुकदमे में कोई गवाह दूर-दराज से आ सकता है और पाता है कि मामला स्थगित हो गया है। उन्हें कई बार अदालत आना पड़ता है और इसकी कीमत उन्हें और उनके परिवार को किस कीमत पर चुकानी पड़ती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यह कमोबेश एक फैशन बन गया है कि किसी आपराधिक मामले को बार-बार तब तक के लिए स्थगित किया जाए जब तब कि गवाह थक न जाए और वह हार न मान ले। किसी न किसी बहाने से स्थगन प्राप्त करना बेईमान वकीलों का खेल है जब तक कि गवाह को जीत नहीं लिया जाता या थक नहीं जाता। इतना ही नहीं कि एक गवाह को धमकी दी जाती है, उसका अपहरण कर लिया गया है, वह अपंग है, वह खत्म हो गया है, या रिश्वत भी दी। उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बिना किसी वैध कारण के मामले को स्थगित करने में अदालत अनजाने में पक्षकार बन जाती है फिर अदालत में गवाह के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। चपरासी द्वारा उसे भरी अदालत से बाहर धकेल दिया जाता है। वह पूरे दिन इंतजार करता है और फिर उसे पता चलता है कि मामला स्थगित हो गया है। उसके पास न तो बैठने की जगह है और न ही एक गिलास पानी पीने की और जब वह अदालत में पेश होता है, तो उसे

अनियंत्रित और लंबे समय तक परीक्षण और जिरह से गुजरना पड़ता है और वह खुद को एक असहाय स्थिति में पाता है। इन सब कारणों और अन्य कारणों से व्यक्ति साक्षी बनने से घृणा करता है। यह न्याय प्रशासन है जो पीड़ित है फिर गवाह के लिए उचित आहार राशि तो बहुत दूर की बात है। यहां फिर से उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो जाता है और वह फैसला करता है कि उसे डाइट का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालयों को इन मामलों में सतर्क रहना होगा। गवाह को उचित आहार राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए (न केवल जब उसकी जांच की जाती है बल्कि प्रत्येक स्थगित सुनवाई के लिए भी) और उसे भेजा भी जाना चाहिए और उसे अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को उचित स्थान पर रखना है, तो प्रणाली को बेईमान वकीलों और सुस्त राज्य मशीनरी के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रत्येक परीक्षण की उचित निगरानी की जानी चाहिए। समय आ गया है कि सभी अदालतों, जिला अदालतों, अधीनस्थ अदालतों को एक कंप्यूटर के साथ उच्च न्यायालय से जोड़ा जाए और स्थगन और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पर उचित जांच की जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और आपराधिक व्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए अपना समर्थन देना चाहिए। अदालतों में झूठी गवाही देना भी जीवन का एक तरीका बन गया है। एक ट्रायल जज जानता है कि गवाह झूठ बोल रहा है और अपने पिछले बयान से मुकर रहा है, फिर भी वह उसे दंडित नहीं करना चाहता या उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करना चाहता। उसे शिकायत पर स्वयं हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है जो उसे शिकायत दर्ज करने से रोकता है। शायद इस संबंध में कानून को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340(3) के खंड (बी) में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि उच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी को शिकायत

दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। झूठी गवाही की बुराई से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता का सहारा लेना चाहिए।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुधीर चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।